न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।
अपील सख्याः–47/2018 (जीसीएमएस नं. 2018/00033)

1. बहादुर सिंह,
2. भंवरसिंह,
3. हरिसिंह,
4. विजय सिंह पुत्रान चौखा,
5. नेहा,
6. कमला,
7. सरोज पुत्रीयान चौखा,
8. श्रीमती सुरजीदेवी पत्नी चौखा, समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम सींथल, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनू।

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनू।

––रेस्पोडेन्ट

उपस्थितिः–

1. श्री नरेश कुमार जैन एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट की ओर से

निर्णय

दिनांकः 13.06.2022

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.12.2017 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि ग्राम सींथल तहसीलदार उदयपुरवाटी स्थित भूमि खसरा नम्बर 317 रकबा 2.48 हैक्टयर, खसरा नम्बर 475 रकबा 6.47 हैक्टयर कुल किता 2 कुल रकबा 8.95 हैक्टयर भूमि का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार चौखा पुत्र चिमना जाति जाट था जिस चौखाराम की मृत्यु हो चुकी है तथा अपीलार्थीगण उनके वारिसान है। उन्होने आगे कथन किया है कि खेदड़ों की ढाणी तन सींथल में मनोज कुमार, रामकुवार, हरिसिंह, भोलाराम, विधाधर व ग्राम पंचायत द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम तहसीलदार उदयपुरवाटी के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिस पर तहसीलदार उदयपुरवाटी ने अपनी आज्ञा दिनांक 15.12.2017 के माध्यम से एक आदेश ग्राम की मुख्य सड़क जो झुन्झुनू उदयपुरवाटी मुख्य मार्ग पर से रास्ता खसरा नम्बर 492 के उत्तरी दिशा व खसरा नम्बर 485 के बींचो बीच आगे रास्ता खसरा नम्बर 593/472, खसरा नम्बर 473 एवं नम्बर 474 के

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

दक्षिणी सीमा से होता हुआ खसरा नम्बर 475 की पूर्व दिशा के सहारे–सहारे होता हुआ खेदडों की ढाणी तन सींथल तक सुचारू आवागमन के लिऐ खुलवाने के आदेश दिये।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि तहसीलदार के उक्त आदेश दिनांक 15.12.2017 के विरूद्ध एक अपील जिला कलक्टर झुन्झुनू के समक्ष प्रस्तुत की गई है तथा अपील में प्रस्तुत स्थगन प्रार्थन पत्र पर आदेश के विरूद्ध राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में निगरानी प्रस्तुत की गई एवं इस निगरानी में राजस्व मण्डल द्वारा तहसीलदार उदयपुरवाटी के आदेश की पालना जिला कलक्टर झुन्झुनू के समक्ष विचाराधीन अपील के निर्णय तक स्थगित रखते हुए मौके की यथास्थिति कायम रखने के आदेश दिये गये और प्रकरण जिला कलक्टर झुन्झुनू को प्रकरण गुणावगुण पर निर्णित करने हेतु प्रेतिप्रेषित कर दिया। उन्होने आगे कथन किया है कि राजस्व मण्डल के स्थगन आदेश के रहते हुए सभी तथ्यों को छिपाते हुये अपनी आज्ञा की पालना कराने हेतु तहसीलदार उदयपुरवाटी ने उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी के समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया और इस प्रार्थना पत्र पर बिना सम्बन्धित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिये आज्ञा दिनांक 06.12.2017 को पारित करते हुऐ राजस्व रिकार्ड में अंकन के आदेश दे दिये जो विधि के प्रावधानों, वस्तुस्थिति के विपरित व अधिकार क्षेत्र का गलत इस्तेमाल कर पारित आज्ञा है जो इस आधार पर ही निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी के निर्णय दिनांक 06.12.2017 की पालना राजस्व अधिनियम की धारा 131, 132 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में अंकन करने का आदेश देने में भरी कानूनी भूल की है क्योंकि धारा 131, 132 में केवल मात्र सर्वे व भू अभिलेख कार्यवाही के समय इस प्रकार के आदेश दिये जा सकता है, वह भी जब रास्ते के बारे में जो पूर्व में राजस्व रिकार्ड में डॉटैड लाईन से अंकित हो। उन्होने आगे कथन किया है कि उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा निर्णय जैर अपील पूर्ण रूप से राजनैतिक व्यक्तियों के दबाव में आकर पारित आज्ञा है जो पूर्ण रूप से आरबीट्रेटरी एण्ड कॉन्ट्राट्रेटरी टू लॉ है और इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी का अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.12.2017 निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान जयपुर के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 की पालना में तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा चालू रास्तो के प्रस्ताव अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण पर विचार करने के पश्चात् ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.12.2017 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

P.T.O.

क्षेत्रीय आयुक्त
जयपुर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 के तहत पारित निर्णय दिनांक 15.11.2017 के माध्यम से रास्ता खुलवाया जाकर सार्वजनिक हिथार्थ चालू करवाने के आदेश पारित किये गये है तथा उक्त भूमि चालू रास्ते के उपयोग में आ रही जिसे राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता अंकन के प्रस्ताव प्राप्त होने पर अधीनस्थ न्ययालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.12.2017 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.12.2017 को यथावत रखा जाता है।

(विकास एस.भाले)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 13.06.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर।